

26-10-2020

26-10-2020

पत्रावली चेरा हुई वकील पत्रकारान अविगत
 ही वाद पत्र में वहा उग्रयपत्र शुनी गरी
 तहसीलदार मीनतां से प्राप्त बंटवारा रिपोर्ट
 का अवलोकन किया गया। वाद पत्र की तथ्य
 सं. 1 लगायत 4 में वर्णित भूमि ग्राम नारायण
 की जमावदी समूह 2075-78 के खाता संख्या
 120 के खसरा सं. $\frac{25}{35-06}$, $\frac{256}{0-04}$, $\frac{406}{1-13}$

कुल कित 03 कुल रकवा 37 बीघा 03 बिस्वा,
 खाता सं. 250 की भूमि $\frac{22}{5-15}$, $\frac{362}{8-19}$ कुल
 कित 2 कुल रकवा 14 बीघा 14 बिस्वा एवं खाता
 सं. 118 की भूमि ख. सं. $\frac{23}{15-00}$, $\frac{286}{12-05}$, $\frac{411}{3-05}$
 $\frac{682}{1-05}$, कुल कित 04 रकवा 31 बीघा 15

बिस्वा एवं खाता सं. 263 की भूमि खसरा सं.
 $\frac{620}{3-16}$, $\frac{676}{12-00}$ कुल कित 02 कुल रकवा

15 बीघा 16 बिस्वा वाली को 1/4 हिस्से का
 खातेदार कृषक घोषित किया जाता है अतिवादी
 सं. 3 का नाम अंजनी उर्फ अंजु ब्राह्मण
 किशनगोपी के स्थान पर अंजु कुमार आठ
 किशनगोपी इन्दाज हुआ किया जाता है
 मुताबिक बंटवारा रिपोर्ट बारीगण का वाद
 अंतिम डिफरी किया जाता है भूमि निम्नानुसार
 विभाजन किया जाता है निम्नानुसार
 खातेदाराने के हिस्से रहेगी -

1. मन्तराज पि. किशनगोपी	खसरा नं.	रकवा
अशोक कुमार पि. किशनगोपी	286	11-10
अंजु कुमार पि. किशनगोपी	$\frac{676}{286}$	1-05
अनिल कुमार पि. किशनगोपी	$\frac{250}{2}$	0-01
	411 / 1	1-12
	25 / 1	10-00

कित 5 24-17

उपखण्ड अधिकारी
 नैपथी (पुन्दी)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-------------	------------------------------------	-------------------------------------------------------

2. रामसागर पि-कन्हैयालाल	रकतसं क्र 286	रकबा 0-15
	1	
	676	10-15
	<u>286</u>	
	682	1-05
	<u>295</u>	
	259	0-01
	<u>3</u>	
	411	1-13
	25	10-08
	<u>क्रिता 6</u>	<u>24-17</u>

3. हंसराज पि-कन्हैयालाल	362	4-09
	1	
	22	5-15
	<u>636</u>	3-16
	23	
	23	10-16
	<u>क्रिता 5</u>	<u>24-17</u>

4. महावीर पि- विमल कुमार	259	0-01
विनोद पि- विमल कुमार	1	
मेयरु पि- विमल कुमार	406	1-13
प्रेम बाई पत्नी विमल कुमार	25	14-09
	2	
	362	4-10
	<u>23</u>	4-04
	1	
	<u>क्रिता 5</u>	<u>24-17</u>

निर्णय प्रैरे द्वारा लिखाया जाकर हंसराज कर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद तक्रमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड आधिकारी
नैनवों (बून्वी)